कार्यालय मार्केट कमेटी, हिसार (हरियाणा)

धर्मकांटों को किराए पर देने हेतु

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किं नई अनाज मण्डी, हिसार में दो धर्मकांटों को **दिनांक 1.3.2021 से 28.02.2023 तक** क्रे लिए टैण्डर प्रक्रिया द्वारा मासिक किराए पर दिया जाना है। इस टैण्डर के लिए निर्धारित फार्म कार्यालय मार्केट कमेटी सिरसा रोड, हिसार से **दिनांक 22.2.2021 को प्रातः 10.00 बजे से** प्राप्त करके टैण्डर हेतु दोपहर 12.00 बजे तक मार्केट कमेटी कार्यालय में दस्तावेजों व निर्धारित धरोहर राशि सहित जमा करवाए जा सकते हैं।

उपरोक्त टैण्डर बारे शर्तें इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

हस्ता/-

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी, हिसार

फोन : 01662-275805

धर्मकांटा (नजदीक गेट नं० 1 व नजदीक फायर स्टेशन), नई अनाज मण्डी, हिसार को किराए पर देने बारे शर्तें–

1. किराए की अवधी **दिनांक** .... **से** .... तक होगी व केवल रजिस्टर्ड फर्म/सोसायटी को ही टैण्डर भरने का अधिकार होगा।
2. फर्म/सोसायटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटोप्रति टैन्डर फार्म के साथ संलग्न होना अनिवार्य है।
3. फर्म/सोसायटी के पास (EPF, ESI, Service Tax, Pan Card No., GSTIN, Bank Account) होना अनिवार्य है। जिनके प्रमाण पत्र निविदा फार्म के साथ संलग्न करने होंगे।
4. यदि किसी फर्म/सोसायटी द्वारा शर्त नं० 2 व 3 में वर्णित वैद्य दस्तावेज टैण्डर फार्म के साथ संलग्न नही पाए गए तो उस फर्म/सोसायटी का टैण्डर फार्म मान्य नही होगा।
5. टैण्डर फार्म की फीस रूपये 300/– प्रति फार्म आवेदक से वसूल की जाएगी, जो कि किसी भी परिस्थिती में रिफण्डेबल नही होगी। डिफाल्टर फर्म/सोसायटी को टैण्डर प्रकिया में शामिल होने का अधिकार नही होगा।
6. प्रत्येक फर्म/सोसायटी को प्रति धर्मकांटा के लिए धरोहर राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) का डी०डी० (मार्केट कमेटी, हिसार के नाम से) मार्केट कमेटी, हिसार में जमा करवाना होगा। असफल फर्म/सोसायटी को मौके पर धरोहर राशी के डी०डी० वापिस कर दिए जाएंगे। सफल फर्म/सोसायटी की धरोहर राशी जमानत राशी के रूप में जमा कर ली जाएगी व किराए में समायोजित नही की जावेगी तथा किराया अवधी समाप्ती उपरान्त जमानत राशी बिना ब्याज वापिस कर दी जावेगी।
7. सफल फर्म/सोसायटी को टैण्डर अनुसार प्रति माह किराया राशी व उस पर वर्तमान में देय टैक्स (जी०एस०टी०) व अन्य टैक्स की पूर्ण राशी के 24 चैक बोली के दिन या अगले कार्यदिवस में जमा करवाने होंगे।
8. उपरोक्त चैक प्रति माह की 7 तारीख को इस कार्यालय के बैंक खाता में लगाए जाएंगे, यदि किसी भी माह का चैक फर्म/सोसायटी खाते में पर्याप्त राशी न होने/अन्य किसी कारण से बाउंस होता है तो उसके अगले दिन अलॉटी को निश्चित तौर पर पूर्ण किराया राशी कार्यालय में जमा करवानी होगी। यदि अलॉटी द्वारा ऐसा नही किया जाता तो अलॉटी द्वारा जमा जमानत राशी को तुरन्त प्रभाव से जब्त करके अलॉटी का ठेका रद्द कर दिया जावेगा व अलॉटी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
9. किराए हेतु टैण्डर मंजूर होने के उपरान्त सफल फर्म/सोसायटी को 7 दिन के अन्दर–अन्दर 15/– रूपये के स्टाम्प पर इस कार्यालय के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा, यदि फर्म/सोसायटी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी व सचिव, मार्केट कमेटी को द्वितीय उच्च फर्म/सोसायटी को ठेका देने का अधिकार होगा।
10. यदि भविष्य में सरकार द्वारा टैक्स में कोई संशोधन किया जाता है तो उसका भुगतान करने हेतु अलॉटी बाध्य होगा व भुगतान न करने की स्थिती में धरोहर राशी से वसूली कर ली जावेगी।
11. अलॉटी धर्मकांटा को सबलैट नही कर सकेगा व जैसा है–जहां है की स्थिती में अलॉट किए जाएंगे। अलॉटी द्वारा इस नियम की उल्लंघना की जाती है तो अलॉटी द्वारा जमा जमानत राशी को तुरन्त प्रभाव से जब्त करके अलॉटी का ठेका रद्द कर दिया जावेगा व अलॉटी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. बिजली, पानी भुगतान व नापतोल विभाग द्वारा धर्मकांटा सत्यापन टैक्स की पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं फर्म/सोसायटी की होगी।
13. धर्मकांटा के अन्दर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ व शराब आदि रखने व प्रयोग करने की अनुमति नही होगी।
14. बिना कोई कारण बताए बोली स्वीकार, अस्वीकार व रद्द करने का अधिकार अलॉटमैन्ट कमेटी को होगा।
15. फर्म/सोसायटी का दायित्व होगा कि धर्मकांटा में स्थित मार्केट कमेटी की सम्पत्ती अर्थात कम्पयूटर व उससे सम्बन्धित अन्य सामान व प्रोपर्टी की जिम्मेवार व रख–रखाव स्वयं वहन करेगा और धर्मकांटा की अवधी समाप्ती पर सचिव, मार्केट कमेटी, हिसार को ठेकेदार पूर्ण सामान चालू हालत में सुपुर्द करेगा।
16. वजन तुलाई के समय किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेवारी फर्म/सोसायटी की होगी।
17. धर्मकांटा से सम्बन्धित कोई भी मुकद्दमा आदि फर्म/सोसायटी न्यायालय में स्वयं पैरवी करेगा।

18. बोर्ड/मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय धर्मकांटा का निरीक्षण किया जा सकता है, इस दौरान किसी भी प्रकार की अनियममितता पाए जाने पर जमानत राशी जब्त करके धर्मकांटे का ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

19. फर्म/सोसायटी व मार्केट कमेटी, हिसार के बीच कोई विवाद हो जाता है तो सक्षम अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

20. धर्मकांटा में प्रयोग में आने वाली स्टेशनरी व पर्ची बुक की जिम्मेवारी फर्म/सोसायटी की होगी।

21. धर्मकांटा में बिजली मीटर, जरनेटर/इनवरटर के प्रबन्ध की जिम्मेवारी स्वयं फर्म/सोसायटी की होगी।

22. धर्मकांटा स्ट्रेक्चर व लोड सैल, आदि के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर फर्म/सोसायटी की जिम्मेवारी होगी।

23. धर्मकांटा निश्चित अवधी से पहले छोड़ने पर या अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर मार्केट कमेटी को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध समाप्त कर धरोहर राशि जब्त कर सकती है।

24. मार्केट कमेटी को विशेष परिस्थितीयों में अधिकार होगा कि वह 24 घण्टे का नोटिस देकर निश्चित समय अवधी से पहले धर्मकांटा अपने कब्जे में ले सकती है। इस बारे में फर्म/सोसायटी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं रखेगी।

25. दी पंजाब मार्केट कमेटी Bye-laws के नियमों के तहत निर्धारित व बोर्ड द्वारा समय-2 पर संशोधित खर्चे ही मान्य होंगे।

-हस्ता-

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी
मार्केट कमेटी, हिसार